न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/14/2019	21–05–2019	24–06–2019

1– फत्तेह सिंह पुत्र मन्ना राम जाति जाट निवासी ग्राम बडली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

–अपीलान्ट

बनाम

1– आई सी आई सी आई बैंक शाखा खैरथल जरिये प्रबन्धक शाखा खैरथल जिला अलवर।

2– सी आई सी आई बैंक शाखा बाल भारती अलवर जरिये प्रबन्धक शाखा बाल भारती जिला अलवर राज0।

3– तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज0।

–रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार मुण्डावर नामान्तरकरण संख्या 1254 वाके बड़ली तहसील मुण्डावर जिला अलवर दिनांक 19.02.2019

उपस्थितः–

01. श्री सुखलाल सैनी –वकील अपीलान्ट

02. श्री कमलेश सोनी –वकील रैस्पोडेट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के आदेश दिनांक 19.02.2019 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1254 वाके ग्राम बडली तहसील मुण्डावर जिला अलवर जिसमें बैंक शाखा खैरथल द्वारा 6(1) जारी करते समय सहवन से आईसीआईसीआई बैंक, बाल भारती अलवर के नाम दर्ज हो गया, उसे दुरूस्त कर आईसीआईसीआई बैंक शाखा खैरथल करने के लिए पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार मुण्डावर के आदेश दिनांक 19.02.2019 नामान्तरकरण संख्या 1254 जिसकी जानकारी अपीलांट को बैंक में ऋण लेने जाते वक्त हुई, जो 6(1) आईसीआईसीआई बैंक खैरथल के नाम दर्ज होना था वह बैंक शाखा द्वारा 6(1) जारी करते समय बाल भारती अलवर के नाम दर्ज हो गया। अपीलांट को जानकारी होते ही तहसीलदार मुण्डावर के यहां दुरूस्ती के लिये निवेदन किया गया। तहसीलदार मुण्डावर द्वारा यह कहां गया कि अपील न्यायालय में आदेश दुरूस्ती के लेकर आओ तब परिवर्तन किया जावेगा। प्रार्थी ने ऋण के लिये आईसीआईसीआई बैंक शाखा खैरथल को आवेदन किया तथा समस्त ऋण पत्रावली कार्यवाही खैरथल बैंक के यहा की है लेकिन बैंक द्वारा 6(1) आईसीआईसीआई बैंक शाखा बाल भारती अलवर के नाम दर्ज हो गया। जबकि बाल भारती अलवर बैंक से कोई ऋण नहीं लिया गया। महज 6(1) में गलती के कारण इंतकाल दर्ज हो गया। प्रार्थी का ऋण खाता भी आईसीआईसीआई बैंक शाखा खैरथल में है। जिस कारण प्रार्थी की जमीन रहन होने के बावजूद भी ऋण नहीं मिल पा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार मुण्डावर द्वारा दर्ज किये गये इंतकाल संख्या 1254 दिनांक 19.02.2019 को निरस्त फरमाया जाकर उक्त इंतकाल में आईसीआईसीआई बैंक बाल भारती अलवर के स्थान आईसीआईसीआई बैंक खैरथल दर्ज करने के आदेश फरमावें।

विद्वान वकील रैस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट फतेह सिंह द्वारा आईसीआईसीआई बैंक खैरथल से ऋण आवेदन किया था। आईसीआईसीआई बैंक खैरथल द्वारा 6(1) जारी करते समय सहवन से 6(1) आईसीआईसीआई बैंक शाखा बाल भारती अलवर वाले प्रफॉर्मा में 6(1) आराजी लिखने से उक्त जमीन आईसीआईसीआई बैंक शाखा बाल भारती

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

अलवर के नाम दर्ज हो गई। जबकि आईसीआईसीआई बैंक शाखा बाल भारती अलवर में अपीलांट का कोई ऋण खाता नहीं है और ना ही अपीलांट की तरफ कोई ऋण बकाया है। अतः उक्त इंतकाल को दुरूस्त कर आईसीआईसीआई बैंक शाखा खैरथल के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रा0पत्र पर विचार किया गया। अपीलांट ने यह अपील आदेश दिनांक 19.02.2019 के विरूद्ध दिनांक 21.05.2019 को पेश की गई। जो करीब 3 माह के विलम्ब से पेश की गई है। मियाद के बिन्दु पर सहानुभूति रखते हुए प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि आईसीआईसीआई बैंक शाखा खैरथल द्वारा 6(1) जारी करते समय सहवन से आईसीआईसीआई बैंक शाखा बाल भारती अलवर दर्ज कर दिया गया है। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार मुण्डावर को निर्देश दिये जाते है कि इंतकाल संख्या 1254 निर्णय दिनांक 19.02.2019 को निरस्त कर अपीलांट के रहन का इन्द्राज आईसीआईसीआई बैंक शाखा बाल भारती अलवर के स्थान पर आईसीआईसीआई बैंक शाखा खैरथल दर्ज किया जावें। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। निर्णय की प्रति तहसीलदार मुण्डावर को उनके रिकॉर्ड के साथ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24–06–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/6/19

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)